

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह  
विशेष सचिव  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,  
उ०प्र०।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक 15 अक्टूबर, 2013

विषय:-विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सीय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु "संस्था" शब्द को परिभाषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-30/अड़तीस-9-13-500(17)/12, दिनांक-12.02.2013 में उल्लिखित "संस्था" शब्द को परिभाषित किये जाने के सम्बन्ध में विधान मण्डल के कतिपय मा० सदस्यों द्वारा अपेक्षा की गयी है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन विषयक संदर्भित शासनादेश-12.02.2013 में उल्लिखित चिकित्सा सुविधा के परिप्रेक्ष्य में "संस्था" शब्द का आशय चिकित्सा विश्वविद्यालय, आयुर्विज्ञान संस्थान, चिकित्सा महाविद्यालय (सरकारी/अर्द्धसरकारी) जिला चिकित्सालय, राज्य/केन्द्र सरकार से सहायतित पालीक्लीनिक तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के एक्विडिटेड अस्पतालों आदि से है।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)  
विशेष सचिव

संख्या:-1305 (1)/अड़तीस-9-2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)  
विशेष सचिव

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह  
विशेष सचिव  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,  
उ०प्र०।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक 15 अक्टूबर, 2013

विषय:-विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सीय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु "संस्था" शब्द को परिभाषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-30/अड़तीस-9-13-500(17)/12, दिनांक-12.02.2013 में उल्लिखित "संस्था" शब्द को परिभाषित किये जाने के सम्बन्ध में विधान मण्डल के कतिपय मा० सदस्यों द्वारा अपेक्षा की गयी है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन विषयक संदर्भित शासनादेश-12.02.2013 में उल्लिखित चिकित्सा सुविधा के परिप्रेक्ष्य में "संस्था" शब्द का आशय चिकित्सा विश्वविद्यालय, आयुर्विज्ञान संस्थान, चिकित्सा महाविद्यालय (सरकारी/अर्द्धसरकारी) जिला चिकित्सालय, राज्य/केन्द्र सरकार से सहायतित पालीक्लीनिक तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के एकिडिटेड अस्पतालों आदि से है।

भवदीय,



(अनिल कुमार सिंह)  
विशेष सचिव

संख्या:- (1)/अड़तीस-9-2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

  
(अनिल कुमार सिंह)  
विशेष सचिव